

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सहायक अभियन्ता (द्वितीय) I & II
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़

Email ID- pdpwdaligarh@yahoo.co.in Phone. No. 0571-2701675

पत्रांक : 458 / A.E I 325

दिनांक : 13/6/2025

सेवा में,

श्री मनोज राठी (एडो) चेयरमेन,
गुरुकुल पब्लिक स्कूल,
सोमना रोड़, खैर
जनपद- अलीगढ़

विषय : नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुसार भूकंप प्रतिरोध प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक संख्या जी०पी०एस० खैर/26/2025-26 दि० 11.06.2025

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

13/06/2025
सहायक अभियन्ता (द्वितीय) I & II
प्रा०ख०, लो०नि०वि०, अलीगढ़।
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
अलीगढ़
दिनांक :

पत्रांक :

प्रतिलिपि :

1. अधिशासी अभियन्ता प्रा०ख०, लो०नि०वि०, अलीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अवर अभियन्ता (प्रावै०) प्रा०ख०, लो०नि०वि०, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि स्कूल चेयरमेन द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेखों को मूल रूप में अपने रिकार्ड में सुरक्षित रखें।
3. श्री मी०के० पुष्कर अवर अभियन्ता को उनके द्वारा दी गई आख्या के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित। 26/6/25

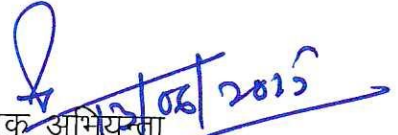
सहायक अभियन्ता (द्वितीय)
प्रा०ख०, लो०नि०वि०, अलीगढ़।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोज कुमार राठी चेयरमेन, द्वारा गुरुकुल पब्लिक स्कूल, सोमना रोड़, खैर, जनपद अलीगढ़ के जी + 2 का निर्माण श्री मृदुल कुमार स्ट्रक्चर इंजीनियर (Reg- No- M-15132-S) दि० 11.05.2025 द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार सुपरवीजन में भूकम्परोधी नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 एवं 2016 के अनुसार कराया गया है। N.B.C. के Annexure C, D, G & H के प्रमाण पत्र श्री मनोज कुमार राठी चेयरमेन, द्वारा गुरुकुल पब्लिक स्कूल, सोमना रोड़, खैर, जनपद अलीगढ़ द्वारा मूलरूप में प्रस्तुत किये गये हैं। प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों एवम् स्थलीय निरीक्षण के आधार पर भवन एन०बी०सी० के मानकों के अनुसार भूकम्परोधी प्रतीत होता है। यह प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा अनुभाग (5) दिनांक 25.09.2009 के क्रम में जारी किया गया है।

भविष्य में भवन का निरीक्षण तकनीकी एजेन्सी से कराते हुए जाँच रिपोर्ट को संज्ञान में लिया जाये, किसी भी दुर्घटना हेतु विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी।


अवर अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०,
प्रांतीय अलीगढ़ निर्माण विभाग
अलीगढ़


सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०,
प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०
अलीगढ़